

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2023/ 5597

दिनांक - 10/11/23

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 मगाराम पुत्र आसुराम जाति मेघवाल निवासी मातासर तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।


1 जोगाराम 2 बाबुलाल 3 रावताराम 4 मूलाराम पिसरान हुकमाराम 5 सिणगारी पत्नी हुकमाराम 6 दमाराम 7 नेमाराम पिसरान मोडाराम 8 राजोदेवी पत्नी मोडाराम 9 डूंगाराम पुत्र आसुराम 10 राणाराम 11 चूनाराम 12 मोहनलाल पिसरान पूंजाराम 13 पारुदेवी पत्नी पूंजाराम 14 चिमाराम 15 वीरमाराम 16 दीपाराम 17 जसाराम पिसरान लुम्भाराम जाति मेघवाल निवासी मातासर तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 352/2023

दिनांक- 27/10/23

आदेश


उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मातासर पटवार क्षेत्र भुरटिया तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 873/336 रकबा 2.9218 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर
दिनांक- 10/11/23

क्रमांक :- रीडर/2023/ 5598 to 5602

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी मातासर तहसील बाडमेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. मगाराम पुत्र आसुराम जाति मेघवाल निवासी मातासर तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी जोगाराम पुत्र हुकमाराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी मातासर तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर
बाड़मेर